न्यायालयः—नवम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल म.प्र.

(पीठासीन अधिकारी—आशुतोष शुक्ल)

B.A. No. 1902/2026

Filling No. 23676/2026

CNR No. MP0401-028145-2026

Filing Date 15-06-2025

FIR No. 24/2025

* *to be scanned with **eCourts Services Mobile App***

(A) CASE DETAIL		
01.	FIR Number & Date	24/2025 Dated 08-02-2025
02.	Police Station, District and State	Crime Branch, Bhopal, M.P.
03.	Sections invoked-	Secions 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340, BNS & 66-C, 66-D IT Act
04.	Maximum Punishment Prescribed	L.I
(B) CUSTODY & PROCEDURAL COMPLIANCE		
01.	Date of arrest	15-05-2026
02.	Total period of custody Undergone	From 15-05-2026 till today
(C) STATUS OF TRIAL		
01.	Stage of proceedings (Investigation/Chargesheet/Cognizance/Framing of Charges/Trial)	Investigation
02.	Total Number of Witness cited in the Charge-sheet	Nil
03.	Number of procecution witness examined	Nil

(D) CRIMINAL ANTECEDENTS

No.	FIR No. & Police Station	Sections	Status (Pending/Acuitted/ convicted)
01.	Nil	Nil	Nil

(E) PRIVIOUS BAIL APPLICATION		
01.	Court	Nil
02.	Case No.	Nil
03.	Outcome of Case	Nil
(F) COERCIVE PROCESS		
01.	Whether any Non Bailable warrant	Nil

	was issued	
02.	Whether declared a proclaimed offender	Nil

अरविंद एन पी पुत्र श्री प्रकाशन
एन एम
आयु– 22 वर्ष,
निवासी– नादावारम्बाथ हाउस, एडाथिनजी, जिला थ्रिसूर, केरला

अभियुक्त/आवेदक

—::बनाम::—

म0 प्र0 राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र
काइम ब्रांच, भोपाल (म0प्र0)

अनावेदक/अभियोगी

16.06.2026

उक्त जमानत आवेदन **1902/2026** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विधिवत् निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त।

अभियुक्त/आवेदक **अरविंद एन पी** द्वारा सुश्री मुफर्रेहा अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री राकेश शेजवार अपर लोक अभियोजक।

जमानत आवेदन पत्र पर तर्क के पूर्व आवेदक/अभियुक्त की ओर से सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, प्रतिलिपि अभियोजन को उपलब्ध कराई जावे।

प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति/जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र काइम ब्रांच, भोपाल के अपराध कमांक 24/2025, धारा 318(4), 319(2) इजाफा धारा 338, 336(3), 340 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66(सी), 66(डी) आई टी एक्ट की केस डायरी प्रतिवेदन के साथ प्राप्त।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से उक्त आवेदन **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अंतर्गत **प्रथम नियमित जमानत आवेदन** पत्र होने के समर्थन में आवेदक के पिता के दोस्त नासिर अली का शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसके अनुसार उक्त आवेदन **प्रथम नियमित जमानत** आवेदन पत्र होकर इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन किसी भी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित, निराकृत होने से इंकार किया गया है।

आवेदक की ओर से प्रथम नियमित बताये जाने वाले आवेदन पर उभयपक्षों को सुना गया।

केस डायरी/प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

आवेदन पत्र अनुसार आवेदक की ओर से यह तर्क किये गये है कि फरियादी सुधीर सिंह के द्वारा दिनांक 20.10.2024 को उसके साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में लिखित शिकायत की गई है, जिसके अनुसार उसने आरोपित कंपनी द्वारा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से 18,60,000/– रूपये की धोखाधडी होना बताया गया है। अनुसंधान के दौरान आवेदन में उल्लेखित अभियुक्त के फेडरल खाते के कथित बैंक अकाउंट में दिनांक 16.09.2024 को फरियादी के अकाउंट से 3,60,000/– रूपये अंतरित होना पाये गये है एवं पुलिस द्वारा फेडरल बैंक का उक्त अकाउंट अभियुक्त का होना आरोपित किया गया है। जबकि उसे उक्त अपराध में असत्य आधारों पर आलिप्त किया गया है। उसका सायबर फ्रॉड गैंग से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अभियुक्त के द्वारा लोन के लिए आवेदन किया गया था एवं विवादित राशि उसी लोन के अंतर्गत

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	जमानत आवेदन 1902/2026	

उसके खाते में आई है। जबकि उसे शिकायत अथवा कथित टेलीग्राम फॉड के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, वह 22 वर्षीय नवयुवक होकर प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि उसकी ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत पत्र कमांक 525/2026 दिनांक 19.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। इसके पश्चात उसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल के न्यायालय में दिनांक 13.05.2026 को समर्पण किया गया है। दिनांक 13.06.2026 को उसकी ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उसके फरार होने, अनुसंधान में सहयोग प्रदान न करने जैसे आधारों पर निरस्त किया है और जिला त्रिशूल, केरल राज्य का स्थानीय निवासी होकर निर्देशानुसार वहां की स्थानीय जमानत प्रस्तुत करने एवं समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। सहअभियुक्त नरेन्द्र, चंदन, निम्बाराम दिनांक 25.06.2026, 17.02.2026 एवं 27.02.2026 को पारित आदेशानुसार जमानत पर रिहा किये गये हैं। इस कारण उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक राज्य की ओर से आरोपित अपराध संगठित गिरोह के द्वारा कारित होकर आवेदक के मुख्य अभियुक्त होने एवं उसके घटना के बाद फरार होने के कारण आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी अवलोकन उपरांत दर्शित है कि दिनांक 20.10.2024 को फरियादी सुधीर सिंह के द्वारा थाना काईम ब्रांच प्रभारी सायबर इंटेलिजेंस एवं सायबर पुलिस भोपाल को उसके साथ ऑनलाईन फाड बावत् प्रस्तुत की गयी है। उक्त लिखित शिकायत में उल्लेखित क्रिप्टो करंसी का लेन–देन करने वाली कथित कंपनी से जुड़कर समय–समय पर रूपये लगाने एवं बदले में उसे रूपये वापस मिलना बताया है। कथित कंपनी के

16/6/26

अपर सत्र न्यायाधीश

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

लोगों द्वारा टेलीग्राम ग्रुप बनाकर ग्रुप में भाग लेने एवं पैसे जमा करने का कहने पर उसके द्वारा समय–समय पर रूपये जमा किये जाते थे। उनके द्वारा बाद में टास्क को पूर्ण करने के लिए 6,80,000/– रूपये जमा करने के लिए कहा गया था। उसके मना करने पर उन्होंने कहा था कि टास्क पूरा न करने पर जमा पैसे वापस नहीं मिलेंगे इस कारण उसने उक्त बढ़ी राशि जमा करा दी थी। उक्त सिलसिला लगातार चलने एवं भिन्न–भिन्न कारणों से कुल 18,60,000/–रूपये जमा करवा लिये थे। टैक्स के नाम पर और धनराशि की मांग की जा रही थी। इस दौरान उसने उन लोगों उसका नाम व पता जानने की कोशिश तो उन्होंने कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ होने के कारण उक्त जानकारी देने से मना कर दिया था। इस कारण लिखित शिकायत के माध्यम रिपोर्ट दर्ज कर पैसा वापस दिलाने की मदद का निवेदन किया गया था।

उक्त लिखित शिकायत जांच के दौरान टेलीग्राम यूजर आईडी, यूजर नेम आईडी एवं विभिन्न बैंकों के खातों की जांच करने पर वास्तविक उपयोगकर्ताओं के द्वारा क्वांईनसाला मिडिया इंडिया प्राईवेट लिमिडेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर 18.60 लाख रूपये की धोखाधड़ी करना पाया गया था। इस कारण प्रारंभिक जांच उपरांत उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केंद्र क्राईम ब्रांच भोपाल के द्वारा टेलीग्राम यूजर आईडी व यूजरनेम तथा उनके उपनाम वाले बैंक खातों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 024/2025 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी है।

विवेचना के दौरान अन्य अभियुक्तगण को गिरफतार कर फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक 17119010010166 आई एफ एस सी कोड एफडीआरएल0001719 में फरियादी सुधीर के खाते से दिनांक 16.09.2024 को 3,60,000/– रूपये धोखाधडी पूर्वक जाना पाये गये है, जिसके कारण धारा 338, 336(3) एवं 340 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66(सी) व 66(डी) आई टी एक्ट की अभिवृद्धि की गई है।

दिनांक 15.05.2026 को अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर उसके मेमोरेण्डम कथन लिये गये हैं, जिसके अनुसार उसके उक्त घटना में आलिप्तता होना पाई गई है।

16/6/26

(आशुतोष शुक्ला)
नवम अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

GCPB—9—DCGCPB—8-4-25—5,00,000.

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	जमानत आवेदन 1902/2026 फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक 17190............ 1666 में फरियादी सुधीर के खाते से दिनांक 16.09.2024 को धोखाधडीपूर्वक 3,60,000/– रूपये जाना पाये गये है, जो कि फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के उक्त खाते का खाताधारक/उपयोगकर्ता, आवेदक/अभियुक्त के मोबाइल से लिंक होना पाकर खाता उसके नाम पर होना पाया गया है। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त की ओर से सूची अनुसार विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं तर्क अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एमसीआरसी नंबर 5884/2026 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2026 अनुसार सहअभियुक्त चंदन मांझी को जमानत का लाभ मिलने के कारण समानता के आधार पर उसे भी जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है। परंतु अनुसंधान के दौरान एकत्र साक्ष्य अनुसार सहअभियुक्त चंदन मांझी के विरूद्ध 3500/– रूपये में आधार कार्ड एवं उसके मोबाइल के सिम उपलब्ध कराकर खाता खुलवाने का आरोप है, जबकि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के उसके नाम के बैंक खाते में उक्त ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली 3,60,000/– रूपये की राशि जमा होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध माननीय उच्च न्यायालय से जमानत का लाभ प्राप्त करने वाले सहअभियुक्त चंदन मांझी से गुरूत्तर प्रकृति का होने से उसका प्रकरण उससे समान होना नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनुसंधान के दौरान एकत्र साक्ष्य अनुसार आवेदक/अभियुक्त अरविंद एन.पी. संगठित सायबर क्राइम का मुख्य अभियुक्त होकर धोखाधडी के माध्यम से प्राप्त की गई बडी धनराशि उसके खाते में जमा होना पाया गया है। उसके विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर क्रिप्टो करंसी के नाम पर फरियादी से एक बड़ी धनराशि 18,60,000/– रूपये की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। 16.6.26 (आशुतोष शुक्ला) भोपाल (म.प्र.)	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	वर्तमान समय में साइबर ठगी के अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों, आरोपित अपराध की गंभीरता एवं स्वरूप को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त अरविंद एन.पी. को जमानत का लाभ दिया उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त **अरविंद एन.पी.** की ओर से प्रस्तुत **प्रथम जमानत आवेदन पत्र** धारा 483 बीएनएस **"निरस्त"** किया जाता है। उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि रिमांड पत्रावली के साथ संलग्न कर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। इस आदेश की प्रतिलिपि केस डायरी के साथ संलग्न कर संबंधित आरक्षी केन्द्र की ओर प्रेषित की जाए। उक्त आदेश की एक सत्यापित प्रतिलिपि ई–मेल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक की ओर अभियुक्त को जमानत आवेदन के परिणाम से अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित की जावे। जमानत आवेदन पत्र का परिणाम संबंधित पंजी में विधिवत् दर्ज कर आदेश की सत्यापित प्रति CIS में अपलोड की जाए। 16.6.26 **(आशुतोष शुक्ल)** नवम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल म.प्र.	16/06/26